

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक:एफ 5(1)आप्र.एवं सहा./गौशाला अनुदान /2014/2288-3/0जयपुर,दिनांक 11.3.15

जिला कलेक्टर, (सहायता)

अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर,

चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर,

हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर,

प्रतापगढ़, जैसलमेर (राज0)।

विषय:- अभाव सम्बत 2071 में अभावग्रस्त जिले के अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.2.2015 के निर्णय के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.2.2015 को लिये गये निर्णय अनुसार राज्य के अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान अधिकतम 90 दिवस तक या 31 जुलाई, 2015 तक, जो भी पहले हो तक के लिए अनुमति दी जाती है। ध्यान रहे कि किसी भी गौशाला को अभाव अवधि की अन्तिम तिथि तक 90 दिवस से अधिक अवधि का अनुदान देय नहीं होगा।

भवदीय,


शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन विभाग एवं प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।


शासन संयुक्त सचिव